संख्या-2084 /X-2-2011-12(31)/2007

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

148

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2011

विषयः-अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना-"13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-421/3-10(13वां वि0आ0) दिनांक 08 सितम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित "13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण" योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में रू0 16,68,00,000/-(रू0 सोलह करोड़ अडसठ लाख मात्र) की धनराशि संलग्न-बीएम-15 पर उल्लिखित पुर्नविनियोग सहित आपके पत्रांक संख्या नि-130/3-10(13वां वित्त आयोग) दिनांक 25 जुलाई, 2011 द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना 2011-12(वन मुख्यालय भवन निर्माण को छोड़कर) के कियान्वयन हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(2) 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण योजना में निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से कराये जाने वाले कार्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिविजन के पत्र संख्या F.9(1) FCD/2010 दिनांक 07-09-2010 के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार की जायेगी तथा इसका व्यय नियंत्रण, अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा आदि कार्य भी उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुसार ही किये जाने आवश्यक एवं अनिवार्य होंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(10) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

क्रमशः.....2

(11) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01-09-"13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण" योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि रू0 हजार में)

क0 सं0	मानक मद	बजट प्रावधान	वर्तमान स्वीकृति	अभ्युक्ति
1	08-कार्यालय व्यय	8000	1100	रू0 (-)6900 का पुनर्विनियोग
2	15-गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल आदि की खरीद	6000	2917	रू0 (-)3083 का पुनर्विनियोग
3	18-प्रकाशन	4000	750	रू0 (-)3250 का पुनर्विनियोग
4	24-वृहत निर्माण कार्य	60000	129351	रू0 (+)69351 का पुनर्विनियोग
5	25-लघु निर्माण कार्य	40000	8650	रू0 (-)31350 का पुनर्विनियोग
6	26-मशीने और सज्जा/उपकरण संयंत्र	10000	400	रू0 (-)9600 का पुनर्विनियोग
7	29-अनुरक्षण	20000	15092	रू0 (-)4908 का पुनर्विनियोग
8	42-अन्य व्यय	14800	800	रू0 (-)6800 का पुनर्विनियोग
9	44-प्रशिक्षण व्यय	500	0	रू0 (-)500 का पुनर्विनियोग
10	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3500	540	रू0 (-)2960 का पुनर्विनियोग
	योग	166800	166800	

(वर्तमान स्वीकृति रू0 सोलह करोड़ अडसठ लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-199(P)/XXVII(4)/2011, दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या-2084 (1)/X-2-2011, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2011-12 अनुदान संख्या-27 राजस्व लेखा आयोजनागत

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रब-धन, उत्तराखण्ड(धनराशि ₹ हजार में)

क0 सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4		5	6	7	8
1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 0109-13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण					2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 0109-13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण			क-आवश्यकता न होने के कारण बचत।
	08-कार्यालय व्यय								ख-भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के मानक मद में पर्याप्त बजट व्यवस्था न होने के कारण ही अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कार्य कराये जाने के लिए योजना के अन्तर्गत ही एक मद से दूसरी में आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग किया जाना आवश्यक है।
	8000	0	1100	6900				1100	
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद								
	6000	0	2917	3083				2917	
	18-प्रकाशन								
	4000	0	750	3250				750	
	24-वृहत निर्माण कार्य					24-वृहत निर्माण कार्य			
	60000	0	129351	0		69351	129351	129351	
	25-लघु निर्माण कार्य								
	40000	0	8650	31350				8650	
	26-मशीनें ओर सज्जा/उपकरण और संयंत्र								
	10000	0	400	9600				400	
	29-अनुरक्षण								
	20000	0	15092	4908				15092	
	42-अन्य व्यय								
	14800	0	8000	6800				8000	